न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
190 / 2014	04.08.2014	28.5.15

उनवान

1. चमेली बेवा भौंरेलाल
2. कमलेश
3. लोकेश पुत्रान जगदीश
4. अन्जु पुत्री जगदीश
5. कौशल्या बेवा जगदीश
6. कैलाश
7. रमेशचन्द
8. नवलकिशोर
9. विजयकुमार
10. सतीश कुमार पिसरान भौंरेलाल
11. नर्वदा
12. सरोज पुत्रीयान भौंरेलाल
13. मनोहरलाल
14. यादराम पुत्रान गंगासहाय
15. सन्तोष पत्नी सम्पत
16. अनिल पुत्र सम्पत
17. रीना पुत्री सम्पत जाति खाती निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. लीलाराम
2. रामपाल पिसरान दुलीचन्द अहीर निवासी चौकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार तहसील कोटकासिम जिला अलवर
4. उप–पंजियक महोदय कोटकासिम जिला अलवर राज0
5. एसबीआई जर्ये शाखा प्रबंधक एसबीआई कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो
हुक्मईम्तनाईदवामी व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा
212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 आदेश 39
नियम 1 व 2 दफा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :–
1. श्री समयसिंह यादव अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सूबेसिंह यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत कर्दावाद पत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजात से वादीगण/प्रार्थीगण बाकेस बाखुबी प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी हाल ख0 नं0 754/711 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है। जो हमारी प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की आराजी है। सम्वत 2061 से 2064 में प्रार्थीगण के नाम का गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है। लेकिन इसके बाद की जमाबंदीयात में प्रतिवादीगण 1 व 2 ने बमिल्लत कर राजस्व कर्मचारीयान अधिकारीयान से प्रतिवादीगण ने अपने नाम का अंकन करा लिया है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। तथा दिनांक 05.07.2014 को ऐलानिया तौर पर आराजी के कब्जा काश्त में मजामहत पैदा करने दीगर जगह बेचान करने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने बेजा फेल में कामयाब हो गये तो हम वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी बेजा मुकदमेबाजी में पड़ना होगा। सुविधा का सन्तुलन बहक वादीगण है इसलिए अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से प्रतिवादीगण को पाबंद करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से इस अमर से पाबंद किया जावे कि हाल आराजी ख0सं0 754/711 रकबा 0.1 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग आराजी वादीगण में मजामहत व मदालखत पैदा ना करें, आराजी जोतने फसल बौने काटने समेटने में रूकावट बाधा पैदा ना करे तथा रहन बय आदि से मुन्तकिल ना करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगा0 2 की ओर से जवाब पेश किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी 1 लगायत 2 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने उक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में पेश किया है। प्रार्थीगणो को उक्त अनुवानी वादपत्र में कामयाबी की कतई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रार्थीगणों ने झूंठे तथ्य दर्ज कर झूंठा वादपत्र, झूंठा शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। आराजी हाल ख0 नं0 754/711 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी तहसील कोटकासिम में स्थित है। मिन जवाबदार आराजी उपरोक्त के खातेदार है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो रहा है। आराजी ख0 नं0 711/0.14 गंगासहाय पुत्र हेतराम की आराजी थी जो गैर खातेदारी की आराजी थी। जिसका जर्ये बयनामा गंगासहाय के द्वारा दिनांक 13.07.1979 को प्रतिफल की राशि 1500/–रू0 लेकर मिन जवाबदारान के पिता दुलीचन्द के पक्ष में सब रजिस्ट्रार, कोटकासिम के समक्ष उपस्थित होकर दो गवाहान के समक्ष तस्दीक करा दिया व उसी दिन मौका पर कब्जा करा दिया। वक्त बयनामा की तिथि से हमारा पिता दुलीचन्द काबिज काश्त रहा उनकी मृत्यु के बाद मिन जवाबदारान काबिज है। वादीगण/प्रार्थीगण का कोई मौके पर कब्जा नहीं है। उस समय गैर खातेदारी आराजी का बयनामा होता था। बयनामा कराने के बाद गैर खातेदारी का इंतकाल खोलना राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया इसलिए हमारे पिता स्वर्गीय दुलीचन्द के नाम से इंतकाल नहीं आ सका। दिनांक 28.11.2004 का कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 में राज्य सरकार के द्वारा संशोधन कर नियम 5 (ए) के तहत बयनामा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के द्वारा दिनांक 11.09.2007 को कैम्प कतोपुर में मिन अप्रार्थीगणों से खातेदारी अधिकार लेने के लिए कीमत 45850/–रू0 व पैनल्टी 700/–रू0 जर्ये चालान सं0 247 दिनांक 25.09.2007 को जमा कराकर खातेदारी का अधिकार दिया गया जिसकी सनद भी दिनांक 09.10.2007 को जारी की गई। जिसके आधार पर मिन अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड में अमल आया तब से बदस्तूर चला आ रहा है। दिनांक 05.07.2014 की समस्त कहानी बनावटी व झूंठी हैं। जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मिन जवाबदारान प्रार्थीगण को शक्ल से ही नहीं जानते, ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को जानते। नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीगण है। सुविधा का संतुलन भी बहक मिन अप्रार्थीगण है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के गैरवास्ता गैर काबिज सख्स है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजात से वादीगण/प्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

का प्रकरण बाखूबी प्राईमाफेसाई आयद वो साबित है। विवादित आराजी हाल ख0 नं0 754/711 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की आराजी है। सम्वत 2061 से 2064 में प्रार्थीगण के नाम का गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है। लेकिन इसके बाद की जमाबंदीयात में प्रतिवादीगण 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारीयान व अधिकारीयान से मिलकर अपने नाम का अंकन करा लिया है जो मौका व कानून के खिलाफ है। दिनांक 05.07.2014 को ऐलानिया तौर पर आराजी के कब्जा काश्त में मजामहत पैदा करने दीगर जगह बेचान करने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादों में सफल हो गये तो हम वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी बेजा मुकदमेबाजी में पड़ना होगा। सुविधा का सन्तुलन बहक वादीगण है इसलिए अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से प्रतिवादीगण को पाबंद करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि विवादित हाल आराजी ख0सं0 754/711 रकबा 0.1 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग आराजी वादीगण में मजामहत व मदालखत पैदा ना करें, आराजी जोतने फसल बौने काटने समेटने में रूकावट बाधा पैदा ना करे तथा रहन बय आदि से मुन्तकिल ना करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण को वादपत्र में कामयाबी की कतई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थीगणों ने झूंठे तथ्य दर्ज कर झूंठा वादपत्र, झूंठा शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। विवादित आराजी हाल ख0 नं0 754/711 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी तहसील कोटकासिम मिन जवाबदार की खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो रहा है। यह आराजी ख0 नं0 711/0.14 गंगासहाय पुत्र हेतराम की गैर खातेदारी की आराजी थी। जिसका गंगासहाय ने दिनांक 13.07.1979 को प्रतिफल की राशि 1500/–रू0 लेकर अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता दुलीचन्द के पक्ष में बयनामा सब रजिस्ट्रार, कोटकासिम के समक्ष उपस्थित होकर तस्दीक कराया व उसी दिन मौका पर कब्जा करा दिया। वक्त बयनामा की तिथि से हमारा पिता दुलीचन्द व उनकी मृत्यु के बाद मिन जवाबदारान काबिज है। वादीगण/प्रार्थीगण का कोई मौके पर कब्जा नहीं है। उस समय गैर खातेदारी आराजी का बयनामा होता था। बयनामा कराने के बाद गैर खातेदारी का इंतकाल खोलना राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया इसलिए हमारे पिता के नाम से इंतकाल नहीं आ सका। दिनांक 28.11.2004 का कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 में राज्य सरकार के द्वारा संशोधन कर नियम 5 (ए) के तहत बयनामा के आधार पर श्रीमान के द्वारा दिनांक 11.09.2007 को कैम्प कतोपुर में मिन अप्रार्थीगणों से खातेदारी अधिकार लेने के लिए कीमत जमा कराकर खातेदारी अधिकार की सनद भी दिनांक 09.10.2007 को जारी की गई। जिसके आधार पर मिन अप्रार्थीगण का

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में अमल आया तब से बदस्तूर चला आ रहा है। दिनांक 05.07.2014 की समस्त कहानी बनावटी व झूंठी हैं। जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मिन जवाबदारान प्रार्थीगण को नहीं जानते, ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को जानते। नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीगण है। सुविधा का संतुलन भी बहक मिन अप्रार्थीगण है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के गैरवास्ता गैर काबिज सख्स है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 2008 पेज164, आर.आर.डी 2011 पेज 91 में पेश किया।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में दोंनो पक्षों द्वारा पेश किये गये दस्तोवजात व साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। मुताबिक हाल रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 विवादित आराजी पर रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण का कब्जा मुताबिक साक्ष्य शपथपत्र व बयनामा के बखूबी साबित है। अतः तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 के पक्ष में है। मैं अप्रार्थीगण 1 लगायत के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया सहमत हूँ। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212. राज0 काश्त0 अधि01955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जाप्ता दीवानी बाबत आराजी हाल ख0 नं0 754/711 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम चौकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.5.15 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्रो)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner